न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी–श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.

रसद अपील संख्या– 38/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2024/67

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट**
रमेश कुमार पुत्र स्व. मदनलाल टाक निवासी लाल बाग कॉलोनी डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन।		1. जिला रसद अधिकारी, डीडवाना–कुचामन 2. प्रवर्तन निरीक्षक, नागौर रोड़, पुलिया के नीचे, डीडवाना।

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 19.02.2024 बअनुवान राज0 सरकार बनाम रमेश कुमार पीठासीन अधिकारी, अंकित पचार

उपस्थितः–

1. श्री समंदर सिंह नाथावत अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री रामलाल जाट प्रवर्तन निरिक्षक डीडवाना–कुचामन रेस्पोडेन्ट की ओर से।

:–निर्णय–:

दिनांकः 11.11.2024

अपील के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि :–

1. अपीलान्ट डीडवाना में लालबाग कॉलोनी में रहता है तथा डीडवाना का मूल निवासी है।
2. अपीलान्ट ने जिला रसद अधिकारी, नागौर में राशन डीलर हेतु आवेदन किया, उक्त आवेदन पर जिला कलैक्टर (रसद) नागौर द्वारा अपीलान्ट को राशन डीलर प्राधिकार पत्र संख्या 429/2000 के द्वारा दिनांक 30.11.2000 को राशन डीलर नियुक्त किया गया तथा अपीलान्ट दिनांक 30.12.2000 से लेकर उक्त आदेश तक लगातार ईमानदारी, निष्ठापूर्वक राशन डीलर का कार्य करता आया है तथा उक्त निर्णय के वक्त अपीलान्ट वार्ड संख्या 29, डीडवाना शहर में राशन डीलर का कार्य करता आया है।
3. अपीलान्ट वर्ष 2000 से लगातार बिना किसी शिकायत के राशन डीलर का कार्य करता आया है तथा उक्त अवधि के बीच में बहुत बार कार्य की निरीक्षण/जाँच भी की गई, परन्तु कभी भी किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं पाई गई।
4. शिकायत चैन सुख पुत्र गणेशलाल निवासी डीडवाना में एक तथाकथित शिकायत दिनांक 02.02.2023 को राजनैतिक दबाव के कारण अपीलान्ट के विरूद्ध की गई तथा उक्त शिकायत का जवाब भी अपीलान्ट द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया। एक शिकायत शंकरलाल पुत्र गणेशलाल निवासी डीडवाना जिला डीडवाना की गई है, के द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध झुठे तौर पर राजनैतिक दबाव में आकर पेश की गई, जिसका भी जवाब अपीलान्ट के द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.12.04 15:24:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

उक्त झुठी शिकायतों के आधार पर दिनांक 09.08.2023 को अपीलान्ट के विरूद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज किया जाकर प्रवर्तन निरीक्षण रामोवतार पुनियां को जाँच हेतु नियुक्त किया तथा उक्त जाँच अधिकारी ने उक्त शिकायतों के आधार पर दिनांक 19.05.2023 को जाँच रिपोर्ट सौंपी गई। जिसके अपीलाधीन आदेश पेश किया गया। जिसके विरूद्ध यह अपील निम्न आधारों पर पेश है:—

:—अपील के आधार—:

1. उक्त अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट को बिना साक्ष्य सफाई का अवसर दिये पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध पारित किये जाने योग्य है। जिससे भी योग्य अधिनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।
2. शिकायतकर्ता शंकरलाल ने अपीलान्ट के विरूद्ध झुठे आरोप लगाकर शिकायत पेश की है। शिकायतकर्ता के राशन कार्ड में चार सदस्य है तथा वर्तमान में जिला रसद सामग्री का राज0 सरकार के द्वारा जिस राशन सामग्री का वितरण किया जाता है, उसका वितरण पोस मशीन/फिंगर प्रिंट मशीन के द्वारा किया जाता है, उक्त राशन वितरण में ही वितरण सम्भव हो पाता है। बिना फिंगर के किसी भी राशन कार्ड धारका को राशन का वितरण भी सम्भव नहीं है। उक्त शिकायत करता शंकरलाल व उसके परिवार के सदस्यों को फिंगर के माध्यम से राशन सामग्री का वितरण किया गया है। उक्त शंकरलाल द्वारा जनवरी 2023 में अंगुठा लगाकर लिया और गेहु भी नहीं दिया का आरोप गलत है। अपीलान्ट ने उसके राशन कार्ड में वर्णित सदस्यों के अनुसार समय समय पर पुरा राशन कार्ड का वितरण किया है। उन सब को उचित व सही रूप से पुरी राशन सामग्री का वितरण किया गया है, उनकी किसी भी तरफ से अपीलान्ट के विरूद्ध कभी भी कोई शिकायत नहीं आई है।
3. राशन कार्ड संख्या 110901000495 के धारक ने सितम्बर 2021 से फरवरी 2023 तक चार सदस्यों का गेहुं अपीलान्ट ने पुरा प्राप्त किया है तथा उक्त राशन वितरण ऑन लाईन डिटेल में भी पुरा वितरण होना पाया है। उक्त शिकायतकर्ता ने जानबुझ कर झुठे तौर पर शिकायत की है, उसे 170 किलोग्राम गेहूं नहीं मिला है, जबकि अपीलान्ट ने उसे पुरा गेहूं का वितरण किया है। शिकयतकर्ता ने ऐसा कोई ठोस आधार दस्तावेजी व साक्ष्य से भी साबित नहीं किया है कि उसे उक्त गेहूं प्राप्त नहीं हुए हो। इस प्रकार शिकायतकर्ता व जाँच कर्ता ने मिलीभगत करके अपीलान्ट के विरूद्ध फौरी तौर पर जाँच की है, जो विधि विरूद्ध है तथा राशन कार्ड के सभी सदस्यों की सभी मेम्बर की सिडिंग/ऑनलाईन पंजियन होना आवश्यक है।
4. राशन कार्ड संख्या 110901000494 धारक ने भी अपीलान्ट के विरूद्ध राजनैतिक द्वेषता दबाव में आकर [illegible] के विरूद्ध झुठी शिकायत की है, उक्त राशन कार्ड धारक को [illegible] अक्टूबर 2022 तक गेहूं 280 किलोग्राम तथा नवम्बर 2022 से जनवरी 2023 तक 60 किलोग्राम गेहूं कुल 340 किलोग्राम गेहूं का पुरा वितरण किया गया है। शिकायतकर्ता ने अपीलान्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.12.04 15:24:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना—कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना—कुचामन

के विरूद्ध पुरा राशन का गेहूं प्राप्त करने के पश्चात् झुठी शिकायत पेश की है। क्योंकि राशन का वितरण पोस मशीन/फिंगर प्रिंट मशीन पर परिवार के सदस्य के फिंगर लगाये बिना किसी प्रकार का कोई वितरण नहीं किया जा सकता। उक्त राशन कार्ड धारक के स्वयं व परिवार के सदस्यों द्वारा राशन कार्ड की दुकान पर आकर फिंगर मशीन पर फिंगर लगाने के बाद राशन का वितरण किया गया है। इस प्रकार अपीलान्ट/राशन डिलर किसी भी प्रकार की कोई राशन सामग्री का गबन कर ही नहीं सकता। इस प्रकार शिकायतकर्ता द्वारा गलत रूप से मिथ्या शिकायत पेश की है, जिसके आधार पर अपीलान्ट का राशन का लाईसेंस निरस्त किया जाना गलत एवम् विधि विरूद्ध है।

5. शिकायतकर्ता की झुठी शिकायत के आधार पर प्रवर्तन निरक्षक द्वारा गलत रूप से शिकायतकर्ता से मिली भगत करके व राजनैतिक दवाव में आकर गलत जाँच रिपोर्ट बनाई तथा जाँचकर्ता द्वारा अपीलान्ट/राशन डिलर को सुना तक नहीं तथा न ही उसकी साच्य सफाई का कोई अवसर दिया तथा जाँचकर्ता ने उक्त गलत जाँच के आधार पर अपीलान्ट का राशन लाईसेंस निरस्त किया जाना विधि विरूद्ध है तथा अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।
6. अपीलान्ट की उचित मूल्य की दुकान का निरिक्षण भौतिक सत्यापन किया गया तथा उक्त भौतिक सत्यापन वास्तविक व भौतिक रूप से सही गणना नहीं की गई तथा गलत गणना करके 774 किलोग्राम गेहूं स्टोक में कम बताये गये, जबकि अपीलान्ट के पास स्टोक में पुरा स्टोक था। अपीलान्ट ने उक्त निर्णय के पश्चात् अस्थायी लाईसेंस धारक को अभी चार्ज दिया, तब सम्पूर्ण स्टोक का चार्ज दिया गया है, इससे कोई भी स्टोक कम नहीं दिया गया, उससे सावित है कि अपीलान्ट राशन डीलर ने गेहूं व केरोसिन का गबन नहीं किया। अपीलान्ट के विरूद्ध जाँच रिपोर्ट सही नहीं करके गलत रूप से जाँच करके गेहूं व केरोसिन का गलत रूप से गबन होना बताया गया है, उक्त जाँच रिपोर्ट माने जाने योग्य नहीं है। जिससे उक्त निर्णय दिनांक 19.02.2024 को अपास्त किया जाना न्याय संगत है तथा उक्त निर्णय को निरस्त किया जाकर राशन डिलर का लाईसेंस बाहल किया जाना न्याय संगत है।
7. अपीलान्ट साढ़े अठावन वर्ष का व्यक्ति है तथा वर्ष 2000 से लेकर वर्ष 2024 के उक्त निर्णय तक ईमानदारी से निष्ठा पूर्वक राशन डिलर का कार्य कर रहा है तथा उसके विरूद्ध करीब 23–24 वर्षों में कभी भी कोई शिकायत नहीं आई है तथा अपीलान्ट उक्त राशन डीलर के कार्य से अपने परिवार का भरण पोषण करता रहा है तथा अब इस उम्र में अन्य कार्य कने के भी अपीलान्ट लायक नहीं है।
8. अपीलाधीन निर्णय अपास्त फरमाया जावे, अपीलान्ट का राशन डीलर का लाईसेंस बहाल किया जाना उचित व न्याय संगत है।
9. अपीलान्ट को कानूनी ज्ञान नहीं है, तथा अपीलान्ट दिनांक 13.03.2024 को मोटर साईकिल से एक्सीडेन्ट हो जाने के कारण अपीलान्ट का पैर फैक्चर हा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.12.04 15:24:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन सत्यमेव जयते

गया, जिस कारण से डॉक्टर ने अपीलान्ट का पैर का ईलाज किया और डॉक्टर ने अपीलान्ट को 10 दिन तक चलने–फिरने से मना करने व घर पर रहकर बैड रेस्ट करने की सलाह दी, जिस कारण से अपीलान्ट अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर पाया तथा अब वह कुछ स्वस्थ होने पर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति दिनांक 08.04.2024 को पेश कर यह अपील पेश की जा रही है। जिससे अपील में हुईदेरी क्षमा किये जाने योग्य होने से न्याय संगत है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनाक 19.02.2024 को अपास्त किया जाये तथा अपीलान्ट का राशन डीलर का लाईसेंस बहाल किये जाने की कृपा करें।

बहस उभयपक्षकारान् सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को ही दोहराया तथा निवेदन किया कि अपीलान्ट साढ़े अठावन वर्ष का व्यक्ति है तथा वर्ष 2000 से लेकर वर्ष 2024 के उक्त निर्णय तक ईमानदारी से निष्ठा पूर्वक राशन डिलर का कार्य कर रहा है तथा उसके विरूद्ध करीब 23–24 वर्षो में कभी भी कोई शिकायत नहीं आई है तथा अपीलान्ट उक्त राशन डीलर के कार्य से अपने परिवार का भरण पोषण करता रहा है तथा अब इस उम्र में अन्य कार्य कने के भी अपीलान्ट लायक नहीं है। अतः अपीलाधीन निर्णय दिनाक 19.02.2024 को अपास्त किया जाये तथा अपीलान्ट का राशन डीलर का लाईसेंस बहाल किये जाने की कृपा करें।

रेस्पोडेन्ट की तरफ से श्री रामलाल जाट प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उचित मूल्य दुकानदार की दुकान में जांच करने पर गेहुं के स्टॉक में अन्तर पाया गया तथा 774 कि.ग्रा. गेहूं व 1228 लीटर केरोसीन स्टॉक में कम पाया गया। इस प्रकार शिकायतकर्ता की शिकायत उचित होने के कारण उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अतः अपीलान्ट की अपील निरस्त फरमाई जावें।

बहस के तर्को पर मनन किया। रेकर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार भी राशन डीलर के स्टॉक में 774 किग्रा. गेहूं व 1228 लीटर केरोसीन कम पाया गया। जिस पर राशन डीलर के भी हस्ताक्षर है। इससे यह प्रतीत होता है कि वक्त निरिक्षण राशन डीलर के पास 774 किग्रा. गेहूं व 1228 लीटर केरोसीन स्टोक कम था, जिससे यह प्रमाणित होता है कि उचित मूल्य दुकानदार द्वारा अपने रिकॉर्ड का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा था तथा उचित मुल्य दुकानदार पर लगाया गया आरोप प्रथम दृष्टया साबित होते है।

अतः अपील अपीलान्ट आधारहीन व सारहीन होने के कारण खारीज की जाती है।

आदेश सरे इजलास आज दिनांक 11.11.2024 को सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.12.04 15:24:36 IST
Reason: SelfAttested

(पुखराज सैन, IAS)
जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन